>

Title: Issue regarding system of dry toilets in the country.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदया, ऐसे वक्त में जब कि राष्ट्रपति ने संसद के बजट सत्र में अपने अभिभाषण में देश से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के संकल्प को फिर से दोहराया है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार कितनी बार अपने ही द्वारा तय समयसीमाओं का उल्लंघन करेगी। कैसी विडंबना है कि ठीक यही आह्वान छह दशक पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी किया था। हालांकि मैला ढोने वालों को काम पर रखना और शुष्क शौचालयों का निर्माण निषेध अधिनियम 1993 के तहत देश में सिर पर मैला ढोना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है और मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए कुछ योजनाएं भी बनाई गई हैं। लेकिन हकीकत में यह प्रथा कायम है और इसे छोड़ कर पुनर्वास की इच्छा रखने वालों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे मौजूदा प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जून 2011 में घोषणा की थी कि छह महीने के भीतर यानि वर्ष 2011 के अंत तक देश से मैला ढोने की प्रथा का खात्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आज भी देश में 12 लाख 91 हजार 626 शुष्क शौचालय हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रथा को देश में पूर्णरूपेण प्रतिबंधित करने हेतु कड़े कानूनों का अविलम्ब निर्माण किया जाए तथा सिर पर मैला ढोने वालों को वैकल्पिक व्यावसायिक अवसर प्रदान करते हुए उनके उपयुक्त पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि देश में सभी नागरिक संविधान में परिकल्पित भावना के अनुरूप सम्मानपूर्वक जीवन जिएं। मुझे विश्वास है कि सरकार इस समस्या को समझेगी तथा उचित कदम उठाएगी।

अध्यक्ष महोदया:

श्री वीरेन्द्र कुमार,

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

डा. किरीट सोलंकी और श्री

देवजी एम. पटेल भी अपने को इस विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।